

**श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त  
गैर सरकारी संकल्प संख्या-258/26 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह सारण मुख्य तटबंध के किलोमीटर 80 से किलोमीटर 120 के बीच पूर्व से निर्मित 3.75 मीटर चौड़ा बांध के शीर्ष का चौड़ीकरण करते हुए किलोमीटर 40 से 80 की भांति बैकुण्ठपुर प्रखंड के आशा खैरा किलोमीटर 80 से बरौली प्रखंड के सरफरा किलोमीटर 120 के बीच 6 मीटर चौड़ा बांध का उच्चीकरण एवं कालीकरण करावें।"</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के दायें तट पर निर्मित सारण तटबंध के प्रश्नगत प्रभाग(किलोमीटर 80 से किलोमीटर 120) में तटबंध मानक के अनुरूप 5.0 मी० की चौड़ाई में तथा उसपर 3.75 मी० की चौड़ाई में बिटूमिनस सड़क निर्मित है।</p> <p>तटबंध पर सड़क निर्माण मुख्यतः बाढ़ अवधि के दौरान निरीक्षण एवं विभागीय सामग्रियों के दुलाई हेतु किया जाता है। तटबंध पर आवागमन सुगमतापूर्वक हो रहा है।</p> <p>तटबंध पर निर्मित सड़क का चौड़ीकरण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा सकता है। इस हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दी जा सकती है।</p>

**जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक-25/वि०स०संकल्प(गो०)-09-21/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-658 दिनांक-18.02.2026 के प्रसंग में गैर सरकारी संकल्प सं०-258/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०संकल्प(गो०)-09-21/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0संकल्प (गो0)-09-21/2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0संकल्प (गो0)-09-21/2026-

1349

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 20/03/2026



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

